UPSI010064982025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 2, सीतापुर।

उपस्थित– विजय कुमार आजाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक अपील संख्या–75/2025

सी०आई०एस० नं०–75/2025

पंकज उम्र 35 वर्ष पुत्र अशोक निवासी ग्राम मोमनाबाद,मजरा कटेसर, थाना हरगांव, जिला सीतापुर। ..... अपीलकर्ता।

बनाम

1– **अमिता देवी** उम्र 52 वर्ष पुत्री रामकुमार पत्नी पंकज निवासिनी मोहल्ला संगतटोला कस्बा व थाना तम्बौर, जिला सीतापुर।

2– **उ०प्र० सरकार।** .....उत्तरदातागण।

अपील अंतर्गत धारा–29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005।

निर्णय

1– यह दाण्डिक अपील, अपीलार्थी/विपक्षी पंकज द्वारा विपक्षिनी संख्या–1 अमिता देवी के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०, सीतापुर द्वारा सी०आई०एस० संख्या 2329/2023, श्रीमती अमिता देवी बनाम पंकज आदि, अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम थाना हरगांव जिला सीतापुर में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, आंशिक रूप से विपक्षी संख्या–1 पंकज के विरुद्ध स्वीकार करते हुये उसे आदेशित किया गया कि वह प्रार्थिनी को वाद के अंतिम निस्तारण तक भरण–पोषण के रूप में 2,000/–रुपये मासिक, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करेगा। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी पंकज ने यह दाण्डिक अपील संस्थित की है।

2– अपीलार्थिनी अमिता ने अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह उक्त वाद की वादिनी मुकदमा है। प्रार्थिनी अपने मायके में रहकर परेशानी की जिन्दगी गुजर बसर कर रही है। प्रार्थिनी के पिता काफी वृद्ध हैं तथा बीमार रहते हैं जो प्रार्थिनी की जरूरतों को जैसे दवा इलाज व अन्य खर्चों को वहन नहीं कर पा रहे हैं तथा प्रार्थिनी पैसे के अभाव में अपने मुकदमें की पैरवी नहीं कर पा रही है तथा मुकदमें की फीस अपने अधिवक्ता को नहीं दे पा रही है। विपक्षी ने जब से प्रार्थिनी को मार–पीट कर घर से भगाया है, तब से प्रार्थिनी को कोई खर्चा नहीं दिया है। अतः प्रार्थिनी के अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके विपक्षी से प्रार्थिनी को उपरोक्त मुकदमें के निस्तारण तक अंतरिम भरण–पोषण मु० 3000/– प्रतिमाह दिलाए जाने की याचना की है।

Digitally signed by Vijay Kumar Azad
Date: 2026.08.01 18:21:28 IST
Reason: Order
Location: ADJ Court 2 Sitapur

3– विपक्षी पंकज कुमार ने परिवादिनी अमिता के अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थनापत्र के विरुद्ध अपनी आपत्ति दिनांक 22.07.2025 प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसने अपना जवाब दावा दिनाँक 07.09.2024 को दाखिल कर दिया है। वादिनी अपनी साक्ष्य अंकित न कराकर यह अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है, जबकि विपक्षी एक बेरोजगार युवक है और उसके पास स्वयं की खेती नहीं है और वह कोई कार्य नहीं करता है। अपने पिता पर आश्रित है, पिता भी बीमार रहते हैं। खेती से जो आय होती है, वह अपने इलाज में लगा देते हैं। पिता के पास नाम मात्र की कृषि भूमि है। विपक्षी के अन्य भाई लोग शादी योग्य हैं, जिनकी शादी, विपक्षी के पिता खेती की आय से करने को मजबूर हैं। वादिनी स्वयं साक्ष्य न देकर मामले को लम्बित करा रही हैं। अतः वादिनी का अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा करें।

4– अपीलार्थी का अपील में आधार यह है कि प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.09.2025 अन्तरिम भरण–पोषण के सन्दर्भ में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी सं० 1 पंकज के विरुद्ध अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थनापत्र में वास्तविक तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया। अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह विपक्षी संख्या 1 अमिता देवी को दो हजार रुपये अन्तरिम भरण–पोषण प्रतिमाह अदा कर सके। अपीलकर्ता के विरुद्ध, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अन्तरिम भरण–पोषण कब तक देय है, क्योंकि आदेश में विपक्षी के लिए कोई समय सीमा बाधित नहीं किया गया। विपक्षी के अकारण अपीलकर्ता को छोड़ देने व बिदा होकर साथ न रहने से अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति काफी प्रभावित हुई है। अपीलकर्ता के पिता काफी बीमार रहते हैं। इसलिए स्वंय मजदूरी नहीं कर पा रहा है, जो कृषि से आय होती है उसी से इलाज होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक व न्याय से परे है, जो किसी भी प्रकार से मानने योग्य नहीं है। अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति व मानसिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आदेश निरस्त किया जाना न्याय संगत होगा। अतः प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब कर प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता के साथ न्याय करने की कृपा करें।

5– अपीलार्थी पंकज ने अपने कथन के समर्थन में सूची 4ग से प्रार्थनापत्र धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं आक्षेपित आदेश दिनाँक 03.09.2025 की प्रमाणित प्रति दाखिल की है। उत्तरदाता अमिता ने अपील की पत्रावली में कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया हैं।

6– मैनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

7– पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी अमिता देवी ने अपने पति पंकज एवं अन्य ससुरालीजनों अशोक, पत्नी अशोक, अंकज, अंकित, एवं बबली के विरुद्ध धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि परिवादिनी की शादी पंकज के साथ दिनाँक 08.06.2022 को हिन्दू रीति–रिवाज से सम्पन्न हुई थी। विवाह के बाद पश्चात् प्रार्थिनी के पति पंकज, ससुर अशोक, पत्नी अशोक, ज्येष्ठ अंकज, अंकित देवर, बबली ननद कम दहेज मिलने की शिकायत करते थे और अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन, फ्रीज, अलमारी व कूलर आदि की माँग करते थे। प्रार्थिनी के माता–पिता गरीब होने के कारण नहीं दे पाये, तो सभी ससुरालीजन प्रार्थिनी को शारीरिक व

मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और उसके मायके में बात नहीं करने देते थे। प्रार्थिनी के गर्भवती होने पर, उसके गर्भ में मौजूद बच्चे का माह फरवरी 2023 में गर्भपात करवा दिया।

8– प्रार्थिनी को दिनाँक 06.07.2023 को सुबह छः बजे सभी विपक्षीगण दहेज की उपरोक्त माँग को लेकर लात–घूसों, डण्डों से मारा–पीटा, जिसकी सूचना प्रार्थिनी के पिता ने 112 नम्बर पर पुलिस को दी थी। प्रार्थिनी अपने पिता एवं पुलिस के साथ अपने गांव हरगांव आयी थी। प्रार्थिनी की डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराया गया था। विपक्षी ने जब से प्रार्थिनी को अपने घर से भगाया है, उसकी कोई खोज खबर नहीं लिया है। प्रार्थिनी अपने मायके में रहती है। कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही है। प्रार्थिनी का समस्त स्त्री धन विपक्षीगणों के पास है और उसका जीवन अंधकारमय हो गया है। प्रार्थिनी अपने भरण–पोषण के लिये अपने मायके वालों पर निर्भर है। विपक्षीगणों को घरेलू हिंसा कारित करने के अपराध के लिये दण्डित किया जाना तथा क्षतिपूर्ति व गुजारा भत्ता दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

9– विपक्षी पंकज एक हष्ट–पुष्ट, नवजवान व्यक्ति है, जिसके पिता के पास दो एकड़ कृषि योग्य सिंचित भूमि है, जिससे विपक्षी की सलाना आमदनी दो लाख रुपये होती है। विपक्षी पंकज एक कुशल इलेक्ट्रीशियन (लाईट मिस्त्री) है, जो प्रति माह चालीस हजार रुपये कमाता है।

10– अतः प्रार्थिनी को विपक्षी से भरण–पोषण, दवा इलाज हेतु मु० 15000/– रुपये प्रति माह परिवाद पत्र दायर करने की तिथि से दिलाया जाये और विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा की घटनायें कारित करने के अपराध में सभी विपक्षीगणों को तलब करके दण्डित करने की कृपा करें।

11– विपक्षी पंकज ने प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध अपनी आपत्ति दिनाँक 07.09.2024 को दाखिल करते हुए कहा कि प्रार्थिनी अमिता को विवाह दिनाँक 08.06.2022 को होना स्वीकार है, लेकिन अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन, फ्रीज, अलमारी, कूलर आदि की माँग अस्वीकार है। विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को कभी कोई शारीरिक व मानसिक प्रताड़िना नहीं दी है, बल्कि परिवादिनी विपक्षी द्वारा बनवाये गये जेवरात व कपड़ों को लेकर राजी खुशी अपने मायके आती जाती रही। विपक्षीगण ने अपनी हैसियत के अनुसार सारे सुख–सुविधायें दी और उसे परेशान नहीं होने दिया, ना ही उसे मायके वालों से बात करने से मना किया।

12– परिवादिनी अमिता जिद्दी स्वभाव की महिला है और अक्सर अपने मायके जाने की जिद करती थी और कहती थी कि तुम्हारे वहां देहात है और मेरे यहां तम्बौर में किराये के मकान लेकर मेरे साथ रहो। विपक्षी पंकज उसे समझाता रहा कि मैं अपने माता–पिता को अकारण नहीं छोड़ सकता और ना ही घर जमाई बनकर रहना चाहता हूँ। दिनाँक 06.07.2023 को प्रार्थिनी के पिता राज कुमार और उनके साथ तीन व्यक्ति प्रार्थिनी को मय जेवर कपड़ों के साथ विदा करा ले गये, तब से प्रार्थिनी बिनी किसी उचित कारण के अपने मायके में रह रही है। विपक्षी, अमीता के साथ पति धर्म का पालन करना चाहता है, जिसके लिये पंकज विपक्षी ने विदाई का वाद परिवार न्यायालय में दाखिल कर रखा है।

13– विपक्षी पंकज बेरोजगार युवक है, उसके पास स्वयं की खेत नहीं है और वह कोई कार्य नहीं कर पाता है। अपने पिता पर आश्रित है, उसके पिता भी मजदूरी पेशा है। नाम मात्र की कृषि भूमि है और उसके भाई भी शादी योग्य हैं, जबकि प्रार्थिनी के पिता के पास काफी पैसा व प्रॉपर्टी है, जोत भूमि है, जिससे वे काफी आमदनी कर लेते हैं। प्रार्थिनी सिलाई, कढ़ाई का काम करके स्वयं का पालन करने में पूर्णतः समर्थ है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा करें।

14– पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि कि परिवादिनी ने मूल पत्रावली में अपनी व अपने पिता का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल कर दिया है, जिसका खण्डन विपक्षीगण ने नहीं किया है। परिवादिनी अमिता ने दौरान वाद अंतरिम भरण–पोषण दिलाये जाने का प्रार्थनापत्र दिनाँक 10.07.2025 को पत्रावली में दाखिल किया, जिस पर विपक्षीगण ने अपनी आपत्ति दाखिल की और उभयपक्ष को सुनकर अवर न्यायालय ने गुण–दोष पर आदेश दिनांक 03.09.2025 पारित करते हुए परिवादिनी अमिता का अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वाद के अंतिम निस्तारण तक वादिनी अमिता को प्रति माह दो हजार रुपये आदेश की तिथि से प्रत्येक माह की दस तारीख तक भुगतान करने हेतु आदेशित किया। इसी आदेश के विरुद्ध विपक्षी पंकज ने यह फौजदारी अपील संस्थित की गयी है।

15– पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि परिवादिनी अमिता ने अपने पति पंकज को एक हष्ट–पुष्ट, नवजवान होना और उसके पिता के पास दो एकड़ जमीन तथा पंकज को कुशल बिजली मिस्त्री होना कहा है और यह भी कहा है कि कृषि भूमि से उसे दो लाख रुपये सालाना की आमदनी होती है और बिजली मिस्त्री का कार्य करके वह चालीस हजार रुपये प्रति माह कमा लेता है। विपक्षी ने अपनी आपत्ति में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है और परिवादिनी को सिलाई, कढ़ाई आदि में कार्य कुशल बताते हुए, उसके पिता के पास खेती व प्रॉपर्टी होने के कारण, पर्याप्त आमदनी होना कहा है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिनी की आमदनी के समर्थन में पंकज ने पत्रावली में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है, जबकि परिवादिनी अमिता ने अपने परिवाद पत्र धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के कथनों का समर्थन करते हुए अपना व अपने पिता राम कुमार का साक्ष्य प्रार्थना पत्र पत्रावली में दाखिल किया है, जिसका खण्डन पंकज ने अपनी तरफ से साक्ष्य दाखिल करके नहीं किया है। विपक्षी पंकज ने इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया है कि वह बिजली का कुशल कारीगर नहीं है और उसकी मासिक आमदनी चालीस हजार रुपये नहीं है।

16– माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सुस्थापित विधि व्यवस्था में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक नवयुवक, जो शारीरिक, मानसिक रूप से हष्ट–पुष्ट और स्वस्थ हैं, भले ही वह किसी भी विधा का कुशल कारीगर/मजदूर न हो, तो भी उसका यह प्रथम दायित्व है कि वह अपने द्वारा विवाह कर लायी गयी पत्नी का भरण–पोषण करने के लिये बाध्य है। वह, यह कहकर भरण–पोषण से उन्मोचित नहीं हो सकता कि वह कोई कार्य नहीं करता या उसे कोई कार्य करना नहीं आता है। एक साधारण एवं प्रज्ञानवान व्यक्ति की दृष्टि में कोई भी मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति, शारीरिक श्रम करके धन अर्जित कर सकता है कि जिससे वह अपना व अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन–पोषण करके वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। उ०प्र० शासन जारी शासनादेश के अनुसार, वर्तमान समय में एक अकुशल मजदूर की न्यूनतम आदमनी मासिक आय लगभग ग्यारह हजार रुपये प्रतिमाह आगणित की गई है।

Bhuwan Mohan Singh v Meena & Ors. (2015) 6 SCC 353 Supreme Court– The Hon'ble Supreme Court held, "that it is the sacrosanct duty of the husband to provide financial support to the wife and minor children, the husband was required to earn money even by physical labour, if he is able–bodied, and could not avoid his obligation, except on any legally permissible ground mentioned in the statute."

Placing reliance on Anju Garg v. Deepak Kumar Garg, 2022 SCC OnLine SC 1314– The Court said that there is clear evidence on the record that the husband is a healthy man and can earn money and is liable to

maintain his wife. Even if it was presumed that the husband has no income from his job or from rent of Maruti Van, even then he is duty bound to provide maintenance to his wife. Further, if he engaged himself in labour work too, then also he may earn as an un–skilled laborer about Rs.350/– to Rs.400/–per day as a minimum wage. उपरोक्त विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत मामले में लागू होती हैं, क्योंकि विपक्षी पंकज ने भी स्वयं को बेरोजगार एवं कोई भी कार्य ना करना कहा है, ना ही कोई आमदनी होना कहा है, जबकि वह एक नौजवान व हष्ट–पुष्ट शरीर का मालिक है। विपक्षी ने बिजली मिस्त्री (कुशल) होने व 40,000/– रुपये मासिक आमदनी होने से इंकार नहीं किया है। इस आधार पर वह अपनी धर्मपत्नी को भरण–पोषण देने से इंकार नहीं कर सकता।

17– उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में परिवादिनी को अंतरिम भरण–पोषण के रूप में, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दिनाँक 03.09.2025 से मु० 2,000/–(दो हजार) रुपये प्रत्येक माह की दस तारीख तक, विपक्षी पंकज द्वारा भुगतान किये जाने का आदेश पूर्णतः वैध और विधिक है, जिसमें कोई भी तात्विक अनियमितता, अविधिकता, अनौचित्यता नहीं है। इस आदेश में कोई भी हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 75/2025, पंकज बनाम अमिता देवी आदि निरस्त की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 03.09. 2025 पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अविलम्ब भेजी जाये। उभयपक्ष दिनाँक 21.08.2026 को अवर न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो।

दिनांक–31.07.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2, सीतापुर।
JO Code No–UP6013

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक–31.07.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2, सीतापुर।
JO Code No–UP6013

Sandeepsteno/–